

पत्रांक- 1756

न0वि0 एवं आ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, गया।
कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
गया।

पटना, दिनांक-12/9/18


विषय:- AMRUT योजना अन्तर्गत 02 (दो) योजनाओं का डी0पी0आर0 के संबंध में।
प्रसंग:- नगर आयुक्त, नगर निगम, गया का पत्रांक-1589 एवं पत्रांक-1595 दिनांक-02.08.2018
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा AMRUT योजना अन्तर्गत 02 (दो) योजनाओं यथा-
(1) मोहन नगर पार्क एवं (2) केन्दुई पार्क का निर्माण कार्य का डी0पी0आर0 अनुमोदन हेतु समर्पित
किया गया है।

AMRUT योजना अन्तर्गत दिनांक-10.08.2018 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास
विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में SLTC की बैठक में गया नगर निगम अन्तर्गत 02 योजना (1) मोहन
नगर पार्क एवं (2) केन्दुई पार्क का निर्माण कार्य के डी0पी0आर0 का अनुमोदन नहीं दिया गया है,
क्योंकि उक्त दोनों योजनाओं का डी0पी0आर0 AMRUT योजना के गाइडलाईन के अनुरूप नहीं है।

तदनुसार उक्त दोनों योजनाओं के डी0पी0आर0 को मूल में लौटाया जा रहा है। साथ ही
AMRUT योजना के गाइडलाईन के अनुरूप डी0पी0आर0 तैयार कर इस कार्यालय में उपलब्ध करावें।

अनु:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

12/9/18
अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।